

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० ५१ / 2024

तारीख रजू :- 15.04.2024

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मिशल आई0डी0 नम्बर 2024/99

उनवान

खुशहाल पुत्र प्रहलाद वगै० निवासी हिण्डौनसिटी जिला करौली राजस्थान

—वादीगण—27

बनाम

नगर परिषद हिण्डौनसिटी, जिला करौली तागील जरिये आयुक्त नगर परिषद हिण्डौनसिटी।

—प्रतिवादी

दिनांक	फर्द अहकाम
14.05.2024	<p>यह दावा वादीगण की ओर से श्री नरेन्द्र सिंह जादौन एडवोकेट के जरिए पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 14.05.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(हेमराज मुर्जर) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p> <p style="text-align: center;"><b>14<sup>05</sup>/<sub>24</sub> पत्रावली पेश हुई वकूलाव उपस्थित, पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते.....</b></p> <p style="text-align: center;"><b>दिनांक 10/6/24 को पेश हो।</b></p>
10/6/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वादीगण व वाकीगण वकील उपस्थित नहीं। उक्त पत्रावली के लिए वाकीगण व वादीगण वकील को आवान दिलवायी गयी। आवान दिलवाने के बाद वादीगण व वादीगण वकील उपस्थित नहीं। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण व वाकीगण वकील उक्त मामले को लेकर ही रुकने नहीं ले रहे हैं। अतः मुकदमा नं० 51/24 दावा खुशहाल बनाम नगरपरिषद हिण्डौन सिटी अदालत करीब नगरपरिषद हिण्डौन सिटी आता है। पत्रावली के तलब अनुसार ही करवाये गये हैं।</p>

दिनांक 10/6/24  
नगरपरिषद  
हिण्डौन

